3 pages

55

1
71/2018

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0–50–09
क्रमांक– 71/2018
आरबीई सं0–62/2018
सं0 ई/310/1/भाग–सात/IV

दिनांक 21–05–2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–कर्मचारी हित निधि (एस.बी.एफ) के अन्तर्गत आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक औषधालय।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(डब्ल्यू)2016/आईएसएम/9 दिनांक 01.05.2018 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

रेलवे बोर्ड का संदर्भित पत्र दिनांक 07.07.2017 जो पूर्व में इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.07.2017 (क्रमांक–141/2017) द्वारा परिचारित किया जा चुका है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0के0पाण्डेय)
सकाधि/मुख्या0– I
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

R-152

RBE No. 62/2018

GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय
RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड

No. E(W)2016/ISM/9

New Delhi, dated 01-05-2018

The General Managers(P),
All Indian Railways &
Production Units.

Sub: Ayurvedic/Homeopathic dispensaries under Staff Benefit Fund (SBF)
Ref: This Ministry's letter of even number dated 07.07.2017.

Please refer to Railway Board's letter of even number dated 07.07.2017 enhancing the monthly honorarium for Ayurvedic/Homeopathic Consultants and monthly subsidy on medicines on the Ayurvedic/Homeopathic dispensaries being run by the Staff Benefit Fund Committees.

2. In continuation of these instructions, sanction of the Ministry of Railways is hereby communicated for revision of monthly honorarium for Ayurvedic/Homeopathic dispensers as per following:-

8 hours duration	Rs. 11,250/-
4 hours duration	Rs.7,500/-

3. Annual allotment for "Indigenous System of Medicine" under SBF (under which Homeopathic and Ayurvedic dispensaries function) at Rs.36 per capita, if found inadequate to meet the increase in requirement of funds on account of the above revision in the honorarium, the additional expenditure (necessitated due to revision) under these orders would also be met through re-appropriation from the head "Medical Services" as additional ad hoc contribution to the SBF, and, accordingly, the Medical Budget would be suitably augmented from Revenues. Hence PCPOs would advise CMDs about the additional funds required on this account so that the same could be reflected in the budgetary estimates.

4. The aforesaid revision will take effect from 07.07.2017.

This issues in consultation with the Health Directorate and with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railway.

(ALOK KUMAR) 25/4/18
Executive Director Estt. (IR)
Railway Board.

आरबीई सं. 62 /2018

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.ई(डब्ल्यू) 2016/आईएसएम/9

नई दिल्ली, दिनांक: 01.05.2018

महाप्रबंधक (पी)
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: कर्मचारी हित निधि (एसबीएफ) के अंतर्गत आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक औषधालय।

संदर्भ: इस मंत्रालय का दिनांक 07.07.2017 का समसंख्यक पत्र।

कृपया रेलवे बोर्ड के दिनांक 07.07.2017 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें, जो कर्मचारी हित निधि समितियों द्वारा चलाए जा रहे आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक औषधालयों में आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक परामर्शदाताओं के लिए मासिक मानदेय और दवाइयों पर मासिक सब्सिडी बढ़ाने के बारे में है।

2. इन अनुदेशों के क्रम में, आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक औषधालयों के लिए मासिक मानदेय को निम्नानुसार संशोधित करने के लिए एतदद्वारा रेल मंत्रालय की स्वीकृति संसूचित की जाती है:-

8 घंटे अवधि 11,250/- रुपए

4 घंटे अवधि 7,500/- रुपए

3. कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत 'स्वदेशी औषधि प्रणाली' (जिसके तहत होम्योपेथिक और आयुर्वेदिक औषधालय कार्य करते हैं) के लिए 36 रुपए प्रति व्यक्ति के वार्षिक आबंटन, यदि मानदेय में उक्त संशोधन होने के कारण निधि की आवश्यकता में बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाया गया है, को इन आदेशों के तहत अतिरिक्त व्यय (जो संशोधन के कारण आवश्यक है) को भी 'चिकित्सा सेवाएं' शीर्ष से पुनर्विनियोग के जरिए पूरा किया जाना है क्योंकि कर्मचारी हित निधि के लिए अतिरिक्त तदर्थ योगदान और तदनुसार चिकित्सा बजट को राजस्व से यथोचित ढंग से बढ़ाया जाएगा। अत:, पीसीपीओ इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित अतिरिक्त निधि के बारे में सीएमडी को सूचित करेंगे ताकि इस राशि को बजटीय अनुमानों में दिखाया जा सके।

4. उक्त संशोधन 07.07.2017 से प्रभावी होंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के स्वास्थ्य निदेशालय के परामर्श से और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(आलोक कुमार)
कार्यपालक निदेशक स्थापना (औ.सं.)
रेलवे बोर्ड